



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232782
CG-DL-E-20012022-232782

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]
No. 31]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 31(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुध नियम, 2016, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुध (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयुध नियम, 2016 में,-

(i) नियम 53 में, उपनियम (2) में, खंड (ड), खंड (च) और खंड (ज) में "चार्टर्ड लेखाकार" शब्दों के स्थान पर "कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 55 में,-

(क) उपनियम (8) में,-

(i) "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों" शब्दों के स्थान पर, "कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "या कंपनी के उत्तरदायी व्यक्ति ने किसी परिवर्तन के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(9) कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में या कंपनी के शेयर धारण करने या शेयर धारण करने में हिताधिकारी हित में किसी परिवर्तन के लिए अनुज्ञापन अधिकारी का पूर्व अनुमोदन आज्ञापक होगा;-

(क) संप्रवर्तकों के दस प्रतिशत से कम शेयर धारण करने के तनुकरण के कारण;

या

(ख) किसी शेयरधारक के शेयर धारण करने में जो कंपनी की शेयर पूंजी में दस प्रतिशत से कम धारण करता है, कंपनी की शेयर पूंजी में दस प्रतिशत तक या अधिक की वृद्धि:

परंतु दो संप्रवर्तकों के मध्य शेयरधारिता के अंतरण हेतु जो पहले से ही अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा अनुमोदित है, इस उपनियम के अधीन पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा तथा अनुज्ञापन अधिकारी को इस आशय की पूर्व सूचना देना ही पर्याप्त होगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों हेतु, पद "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (27) में है।";

(iii) नियम 60 में,-

(क) उपनियम (2) में,-

(i) आरंभिक पैरा में, "पुनःनियत" शब्द के पश्चात्, "या कैलीबर-वार पुनरीक्षण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित पिछले पांच वर्षों के लिए अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखों की प्रतियां";

(iii) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित पिछले पांच वर्षों के लिए स्टॉक अभिलेखों, विनिर्मित मर्दों और विक्रय आवर्त की प्रतियां";

(iv) खंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(v) कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित विनिर्माण क्षमता में वृद्धि या अनुज्ञप्त क्षमता के कैलीबर -वार पुनरीक्षण के लिए विस्तृत प्रस्ताव, परियोजना परिव्यय, वित्त के साधन और आर्थिक जीवन क्षमता के लिए औचित्य तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए विपणन मांग प्रक्षेपण ;";

(ख) उपनियम (5) का लोप किया जाएगा ;

(iv) नियम 60 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"60क. नए विनिर्माताओं हेतु प्ररूप 7 में जारी की गई अनुज्ञप्ति क्षमता पुनरीक्षण.- ऐसा नया विनिर्माता जिसे इन नियमों के अधीन प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति जारी की गई है, अपनी अनुज्ञप्त क्षमता में वृद्धि या प्रत्यावर्तन या पुनःनियत या कैलीबर-वार पुनरीक्षण हेतु आवेदन कर सकेगा और ऐसे विनिर्माताओं को नियम 60 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

60ख. वर्धित वार्षिक उत्पादन .- ऐसा विनिर्माता जिसे इन नियमों के अधीन प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति जारी की गई है, को अनुज्ञापन अधिकारी को और संबद्ध राज्य सरकार को भी वित्तीय वर्ष के अंत से नब्बे दिन के भीतर सूचना देकर अग्रायुध या गोलाबारूद का वर्धित वार्षिक उत्पादन या अपनी अनुज्ञप्त क्षमता का कैलीबर -वार पुनरीक्षण अनुज्ञात होगा तथा जिसके लिए अनुज्ञप्ति पर क्षमता के संबंध में और पृष्ठांकन अपेक्षित नहीं होगा।";

(v) नियम 65 में, उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4)(क) विनिर्माता अपनी यूजर आईडी में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एनडीएएल -एएलआईएस प्रणाली के साथ एक आनलाइन इलैक्ट्रानिक संपर्क स्थापित करेगा और उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रों में यथा अभिलिखित किसी मास के लिए विनिर्मित और विक्रीत या अंतरित अग्न्यायुद्धों तथा विनिर्मित और विक्रीत या अंतरित या उपभुक्त गोला बारूद के संबंध में मासिक इलैक्ट्रानिक आनलाइन डाटा अंतरण की व्यवस्था करेगा।

(ख) यदि कोई ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं जो किसी अनुज्ञप्तिधारी को खंड (क) में निर्दिष्ट एनडीएएल -एएलआईएस प्रणाली पर आनलाइन विवरणियां इलैक्ट्रानिक संपर्क के माध्यम से प्रस्तुत करने से रोकती हैं तो स्थानीय अनुज्ञापन अधिकारी को मासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने हेतु वैकल्पिक साधन स्थापित करने के लिए तत्काल सूचित किया जाएगा।

- (ग) चालू मास के लिए मासिक विवरणियां, मास के अंतिम दिन के कारोबार के घंटों के अंत तक प्रस्तुत की जाएंगी।";
- (vi) अनुसूची 1 में भाग (क) में, स्तंभ (2) में, प्रवर्ग 3 (च) (ii) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
- "जिसमें 20 जूल या 15 फीट एलबीएस से कम या बराबर नालमुख ऊर्जा हो और/या 0.177" या 4.5एमएम से कम या बराबर बोर/कैलीबर "।

[फा. सं. 11026/20/2020-आयुध (भाग 2)]

मृत्युंजय कुमार नारायण, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 701(अ), तारीख 15 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 625 (अ); तारीख 9 अक्टूबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

G.S.R. 31(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Arms (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Arms Rules, 2016, -

(i) in rule 53, in sub-rule (2), in clauses (e), (f) and (h), for the words "a Chartered Accountant", the words "the authorised signatory of the company" shall be substituted;

(ii) in rule 55,-

(a) in sub-rule (8), -

(i) for the words "key managerial personnel", the words "Chief Executive Officer of the company" shall be substituted;

(ii) the words "or any change in the responsible person of the company" shall be omitted;

(b) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(9) Prior approval of the licensing authority shall be mandatory for any change in control, either directly or indirectly, of the company or in case of any change in shareholding or beneficial interest in the shareholding,-

(a) resulting into dilution of promoters shareholding below ten per cent.;
or

(b) increase in shareholding of a shareholder, who held less than ten per cent. in the share capital of the company, to ten per cent. or more share capital in the company:

Provided that for transfer of share holding between the two promoters which is already approved by the licensing authority, prior approval under this sub-rule shall not be required and the prior intimation to this effect to the licensing authority shall be sufficient.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression "control" shall have the same meaning as assigned to it under clause (27) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).";

(iii) in rule 60,-

(a) in sub-rule (2),-

(i) in the opening paragraph, after the word "re-fixation", the words "or caliber wise revision" shall be inserted;

(ii) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) certified copies of the annual accounts of the licensee for the last five years duly certified by the authorised signatory of the company;”;

(iii) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) copies of the stock records, manufactured items and sales turnover for the last five years duly certified by the authorised signatory of the company;”;

(iv) for clause(v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) detailed proposal for enhancement of manufacturing capacity or caliber wise revision of licensed capacity, project outlays, means of finance and justification for economic viability and market demand projections for enhancement in capacity production duly certified by the authorised signatory of the company;”;

(b) sub-rule (5) shall be omitted;

(iv) After rule 60, the following rules shall be inserted, namely:-

“**60A. Capacity revision for new manufacturers issued licence in Form VII.** - The new manufacturer who has been issued licence in Form VII under these rules may apply for enhancement or restoration or re-fixation or caliber wise revision of his licensed capacity and the provisions of rule 60 shall apply *mutatis mutandis* to such manufacturers.

60B. Enhanced annual production.-The manufacturer who has been issued licence in Form VII under these rules shall be permitted to have enhanced annual production of firearms or ammunition or caliber wise revision of his licensed capacity by giving intimation to the licensing authority and also to the State Government concerned within ninety days from the end of the financial year and for which no further endorsement on the licence as to capacity shall be required.”;

(v) in rule 65, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) (a) The manufacturers shall establish an online electronic connectivity under his user id with NDAL-ALIS system of the Government of India in the Ministry of Home Affairs and shall provide for a monthly electronic online transfer of data regarding firearms manufactured and sold or transferred and ammunition manufactured and sold or transferred or consumed for the month, as recorded in the registers referred to in sub-rules (1) and (2).

(b) If any circumstances occur which prevent a licensee to submit online returns on NDAL-ALIS system referred to in clause (a) by means of electronic network connectivity, the local licensing authority shall be informed immediately in order to establish alternative means to submit the monthly returns.

(c) Monthly returns for the current month shall be submitted by the close of business hours of the last day of the month.”;

(vi) in Schedule I, in Part A, for the entries in column (2) against the Category III (f) (ii), the following entries shall be substituted, namely:-

“having muzzle energy less than or equal to 20 joules or 15 ft. lbs. and/or bore/caliber less than or equal to 0.177” or 4.5 mm”.

[F. No. 11026/20/2020-Arms (Part-II)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Addl. Secy.

Note : the principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S. R. 701(E), dated the 15th July, 2016 and last amended *vide* G. S. R. 625(E), dated the 9th October, 2020.